तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
		प्यारेलाल बनाम अम्बालाल
27/7/21		वकील फरीकेन उप०। अप्रार्थी सं. 1,2,4 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। जिसकी नकल दिलाई गई। मुताबिक दर्ज किया एवं दस्तावेज पेश किया वकील अप्रार्थी जो शामिल पत्रावली को। पत्रावली वास्ते बहस दि० 11/8/21 को पेश हो।
11/8/21		वकील फरीकेन उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25/8/21 को पेश हो।
27/8/21		वकील फरीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 1/9/21 को पेश है।
1/9/21		वकील फरीकेन उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर लगाकर शामिल दफ्तर रहे।

न्यायाल
पीठासीन अधि
20 अस
ारेलाल पुत्र ज
जस्थान।
1. अम्बालाल पु
2. श्यामलाल पु
नि
यत:– श्री के
श्री रा
श्री वि
स
एक प्रार्थना
ातेदारी की
ब्रिस्वा, खसर
ागण अम्बा
खसरा नं0
नं0 544
, खसरा न
02 बीघा
है कजोड़ी
एवं अप्रार्थ
सिह पिसर
खसरा नं0
03 बीघा
08 बिस्वा,
रकबा 11
नं0 820
08 बिस्वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
28 / 20	अस्थायी निषेधाज्ञा	30.06.20	01.09.2021

प्यारेलाल पुत्र जयपाल जाति मीना निवासी मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

01. अम्बालाल पुत्र जयपाल जाति मीना।
02. श्यामलाल पुत्र जयपाल जाति मीनां

निवासीयान मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री केशव कुमार गोतम अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री राजेन्द्र सोनी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री विजयराज शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नं0 209 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 506 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 507 रकबा 02 बीघा स्थित ग्राम मसावता है। इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अम्बालाल, श्यामलाल, कानजी, मिश्रा एवं कजोड़ी बेवा प्रहलाद की सहखातेदारी की भूमि खसरा नं0 448 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 543 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 544 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 706 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 714 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 925 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 927 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 929 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 939 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम मसावता तह0 सपोटरा मे स्थित है कजोड़ी का इंतकाल हो चुका है। कान्जी उसका एक मात्र वारिस है। इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अम्बालाल, श्यामलाल पुत्र जयपाल एवं दावे मे दर्ज प्रतिवादी शेरसिह, विजयसिह पिसरान बृजलाल, रामप्रसाद, रामस्वरूप, कान्जी, मिश्रा, कजोड़ी की सहखातेदारी की भूमि खसरा नं0 68 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 188 रकबा 03 बीघा, खसरा नं0 491 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 503 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 508 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 516 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 545 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 558 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 566 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 716 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 820 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 824 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 839 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम मसावता मे स्थित है तथा भूमि खसरा नं0 514 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा दाखा बेवा जयपाल के नाम दर्ज है दाखा बेवा जयपाल का इन्तकाल हो चुका [illegible] एवं अप्रार्थीगण उसके वारिसान है। इसी प्रकार ग्राम बैरूण्डा मे भूमि हाल खसरा नं0 346 रकबा 2.05 बीघा, खसरा नं0 348 रकबा 2.02 बीघा स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। भूमि के सहखातेदारी मेब ने रहने से आये दिन पक्षकारों मे विवाद होते रहते है। आये दिन विवादों से परेशान होकर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण व दावे मे दर्ज अन्य प्रतिवादीगण को समझाया कि वे आपसी सहमति से तहसील मे चलकर भूमि का विभाजन करवा लेते है लेकिन दिनांक 25.06.2020 को प्रार्थी के भाई अप्रार्थीगण अम्बालाल व श्यामलाल ने आपसी सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनकी नियत खराब है। भूमि के शामिल मेब ने

Scanned with DocScan

रहने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करते रहते है। इसलिए ही वे भूमि का विभाजन करवाने मे अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर रहे है। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 मे उल्लेखित खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की शामलाती कब्जे काश्त की होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का इस मद मे वर्णित समस्त खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में कितना कितना हिस्सा निहित है। उक्त विवादित भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर अपनी अपनी सुविधानुसार हिस्सा बांट रखा है और उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण भी हमेशा समस्त खातेदारी की भूमि का रिकार्डेड बंटवारा कराने के लिए सदा तत्पर रहे हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाब को ही बहस माना जावे, निवेदन किया है।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक ज़मांबंदी सम्बत् 2073–76 ग्राम मसावता तहसील सपोटरा एवं वाके ग्राम बैरूण्डा तहसील सपोटरा की फोटो प्रति जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सपोटरा द्वारा जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट 137/2021 की फोटो प्रति से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों मे विवादित भूमि पर आपस मे विवाद की स्थिति है, उभय पक्ष अपने अपने तथ्यों के आधार पर बंटवारा करने को सहमत है। विवादित आराजीयात का कानूनन बंटवारा होने तक उभय पक्षों मे विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसलिए उभय पक्षों का ताफैसला दावा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम मसावता तहसील सपोटरा 209, 506, 507, 448, 543, 511, 706, 714, 925, 927, 929, 939, 68, 188, 491, 503, 508, 516, 545, 58, 566, 716, 820, 824, 839, 532/1, 514, 519, 530, 531, 532, 443, 719 एवं वाके ग्राम बैरूण्डा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 346, 348 में अपने अपने कब्जे काश्त एक दूसरे को फसल काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with DocScan